

प्रवेश और फीस नियमन समिति
उत्तर प्रदेश शासन

संख्या-200-226/प्र0फी0नि0स0/2017
लखनऊ: दिनांक 05 जुलाई, 2017
आदेश

विनियमावली-2015 के अनुपालन में समिति के आदेश संख्या-115/प्रफीनिस/2016 दिनांक 07 नवम्बर, 2016 द्वारा निजी क्षेत्र की डिग्री स्तरीय अभियन्त्रण एवं व्यावसायिक संस्थानों हेतु निम्नवत् मानक शुल्क निर्धारित किया गया है:-

समूह	पाठ्यक्रम का नाम	मानक शुल्क रू0
एक	बी0टेक, बी0आर्की, बी0फार्मा, बी0एफ0ए0, बी0एफ0ए0डी0,	55000.00
दो	बी0एच0एम0सी0टी0,	73000.00
तीन	एम0बी0ए0/एम0सी0ए0/एम0टेक0/एम0फार्मा0/एम0आर्च0	58000.00

जो संस्थायें उक्त निर्धारित मानक शुल्क से भिन्न शुल्क निर्धारित करवाना चाहती हैं उन्हें अपना प्रस्ताव/आवेदन पत्र समिति की अधिकृत वेबसाइट पर अपलोड करते हुए उसकी एक प्रति समिति कार्यालय में उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे। इसी क्रम में संस्थाओं द्वारा प्रस्ताव/लेखा विवरण समिति कार्यालय में उपलब्ध कराये गये थे, परन्तु कतिपय संस्थाओं द्वारा अन्तिम शुल्क निर्धारण से पूर्व लिखित/मौखिक रूप में यह अनुरोध किया गया है कि उनके द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव/आवेदन पत्र पर समिति द्वारा विचार न किया जाय एवं शैक्षिक सत्र 2017-18 हेतु समिति द्वारा उक्त निर्धारित मानक शुल्क उन्हें स्वीकार्य है, ऐसी संस्थाओं का विवरण निम्नवत् है:-

क्रमांक	संस्था का नाम/जनपद
01	मार्डन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी एण्ड मैनेजमेन्ट, गाजियाबाद।
02	मोती लाल रस्तोगी स्कूल ऑफ मैनेजमेन्ट, लखनऊ।
03	अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलाजी एण्ड मैनेजमेन्ट, वाराणसी।
04	एफ0आई0टी0 इंजीनियरिंग कालेज, मेरठ।
05	फोर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलाजी, मेरठ।
06	एक्सिस इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलाजी, कानपुर।
07	एक्सिस इंस्टीट्यूट टेक्नोलाजी एण्ड मैनेजमेन्ट, कानपुर।
08	के0आई0पी0एम0 कालेज ऑफ मैनेजमेन्ट, गोरखपुर।
09	के0आई0पी0एम0 कालेज ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलाजी, गोरखपुर।
10	लैण्डमार्क टेक्निकल कैम्पस, अमरोहा।
11	कुवर सत्य वीरा कालेज ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड मैनेजमेन्ट, विजनौर।
12	केपी चैरिटेबिल ट्रस्ट, आगरा।

13	मासकोट इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट, बरेली।
14	एसलार बिजनेस स्कूल, मथुरा।
15	ग्रेटर नोयडा कालेज ऑफ टेक्नोलाजी, ग्रेटर नोयडा
16	सैम्स इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेन्ट, वाराणसी।
17	नवनीत कालेज ऑफ टेक्नोलाजी एण्ड मैनेजमेन्ट, आजमगढ़।
18	आक्सफोर्ट कालेज ऑफ फार्मसी, हापुड़।
19	इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल एक्सीलेन्स एण्ड मैनेजमेन्ट, गाजियाबाद।
20	आर्यन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलाजी, गाजियाबाद।
21	शम्भूनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलाजी, इलाहाबाद। (162)
22	महाराजा अग्रसेन कालेज ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलाजी, गाजियाबाद।
23	उन्नति मैनेजमेन्ट कालेज, मथुरा। (605)
24	सिद्धी विनायक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट, बरेली (703)
25	सिद्धी विनायक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलाजी, बरेली (एम0टेक0 पाठ्यक्रम) (474)
26	एफ0आई0टी0 कालेज, आगरा।
27	इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट एजुकेशन, गाजियाबाद (037)


अतः उपरोक्त संस्थाओं द्वारा किये गये अनुरोध को एतद्वारा निस्तारित करते हुए शैक्षिक सत्र 2017-18 हेतु समिति द्वारा निर्धारित मानक शुल्क संस्थान में लागू किये जाने हेतु अनुमति प्रदान की जाती है।

(डा0 वी0एस0सिंह)
सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव:-

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक/प्राचार्य,
2. कुल सचिव, डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ।
3. अनुसचिव, प्राविधिक शिक्षा, अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव/सचिव, समाज कल्याण/पिछडा वर्ग /अल्पसंख्यक विभाग।
5. सम्बन्धित जिला अधिकारी।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(डा0 वी0एस0सिंह)
सचिव